न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4443–I/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–11–12 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, भीमपुर, जिला बैतूल प्रकरण कमांक 18 ए/6 वर्ष 2006–07.

मोहनसिंग पिता दौलत जाति गोंड
निवासी धुंधरी (गुरूवा)
तहसील भैंसदेही जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

गंगीयाबाई पिता बिरजा जाति गोंड
निवासी दिदमदा, पो बोरपानी
तहसील जिला हरदा .....अनावेदिका

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 9 अक्टूबर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, भीमपुर, जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश 29–11–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार, भीमपुर के समक्ष संहिता की धारा 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

गया कि ग्राम गुरूवा तहसील भैंसदेही स्थित भूमि सर्वे कमांक 17/1 रकबा 6.518 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में सोमू पिता ढीमू गोंड के नाम दर्ज थी । उसके द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अनावेदिका के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में प्रकरण कमांक 4 अ/6 वर्ष 93–94 में दिनांक 29–9–94 को आदेश पारित कर आवेदक मोहनसिंग का नाम बिना किसी आधार के अनावेदिका को सुने बिना राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था, जिसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भैंसदेही के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–6–07 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर अनावेदिका का नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 18 ए/6 वर्ष 2006–07 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 4 ए/6 वर्ष 93–94 में पारित आदेश दिनांक 29–9–94 निरस्त किया गया है, अतः उसी प्रकरण में कार्यवाही की जाना चाहिए। एक ही न्यायालय में दो नम्बर के प्रकरण दर्ज होकर विचारण किए जाने का प्रावधान विधि में नहीं है, और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 48 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का आंशिक रूप से अथवा किन्हीं शर्तों व आदेशों के तहत निराकरण किया गया है, उसके अवलोकन के उपरांत ही मूल अथवा नये प्रकरण में सुनवाई किया जाना न्यायोचित होगा । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–11–12 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के उपरांत तहसील न्यायालय को मूल प्रकरण में ही कार्यवाही करना चाहिए थी, नया प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नया प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने से आवेदक को क्या हानि हुई, यह नहीं बतलाया गया है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय के प्रकरण में मूल दस्तावेज संलग्न हैं, अतः तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिसंगत है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 26–6–07 को प्रकरण कमांक 18 अ/6 वर्ष 2006–07 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है, और आवेदक की ओर से दिनांक 29–11–12 को लगभग 5 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात मूल प्रकरण में कार्यवाही करने एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्णीत संहिता की धारा 48 के आवेदन पत्र का अवलोकन करने के पश्चात सुनवाई करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । स्पष्टतः आवेदक द्वारा अत्यंत विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः इस संबंध में तहसील न्यायालय का निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है कि आवेदक की ओर से उक्त आवेदन पत्र कार्यवाही को विलंबित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 48 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निराकरण किया गया है, जिसकी समीक्षा करने का अधिकार तहसील न्यायालय को नहीं है, अतः इस संबंध में भी तहसील न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, भीमपुर जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर